कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या– एम0ई0–3/2019/757 दिनांक 02 अप्रैल, 2019

यू0पी0 नीट पी0जी0– 2019 हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 8616(एम0एस0)/ 2019 डा0 जितेन्द्र गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 01.04.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में नीट पी0जी0 2019 के ब्रोशर के बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित अर्हता को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुये अर्हता (Eligibility for admission) के संबंध में बिन्दु संख्या–1, 3, 4, 5 व 6 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरान्त राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थान/विश्वविद्यालय हेतु सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000/– जमा किये जा चुके है, यदि ऐसे अभ्यर्थी निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थान/विश्वविद्यालय हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है, तो रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख मात्र) आज दिनांक 02.04.2019 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक आन–लाईन जमा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

महानिदेशक